>

Title: Need to make provisions for adequate funds for strengthening the judicial system in the country.

श्री धनंजय सिंह (जौनपुर): सरकार को न्याय व न्यायपालिका से जुड़ा कोई भी विधेयक लाने के समय उस विधेयक से जुड़ी वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रावधान करना जरूरी है। न्यायालयों में जजों एवं अन्य कर्मचारियों की कमी, न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या, न्याय मिलने में देरी की एक वजह वित्तीय प्रावधानों की कमी भी है। देश की न्याय व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण लोकतंत्र और देश के व्यापक हित में है। ऐसे किसी भी विधेयक या अधिनियम के संस्थापन के पूर्व इस हेतु आवश्यक न्यायिक समीक्षा एवं प्रवर्तन हेतु संबंधित मानव एवं अन्य संसाधनों हेतु अनिवार्य पूर्ण वित्त व्यवस्था आवश्यक है।